न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

वाद संख्याः– 207/2014 **दायरा दिनांकः– 30.10.2014**

–: अनवान :–

ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. अधिशांषी अभियन्ता(इन्दिरा गांधी परियोजना, मुख्य नहर) छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 207, 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
3. पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

– :: निर्णय ::–

दिनांकः– 04.08.2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वाद पत्र के तथ्य सक्षेंप मे इस प्रकार से है कि वादी के नाम से चक 1 A.P. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 02 / 5 के पत्थर नम्बर 134/7 मु.न. 38 के किला नम्बर 13–14, 16 ता 19, 22 ता 24, 25/0.1270 = 2.4040 हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड होकर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमि वादी के पिता भागीरथ पुत्र छोगाराम जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना की सन् 1955 के पूर्व की भूमि है जिसकी खातेदारी सनद् भी उनके नाम से दिनाक 01.04.2000 को जारी हुई थी। वादी को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई। वादी की जैरवाद भूमि नहर मैन केनाल(इं.गा.न.प.) के पास स्थित है। नहरी विभाग(इं.गा.न.प.) अपने रिकार्ड में वादी की भूमि भी नहर की भूमि होने का बता कर उस पर अपना हक जता रहे है जो स्पष्ट गलत व गैरकानूनी है। वादी के नाम उक्त जैरवाद भूमि खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड साबित है तथा कब्जा काश्त भी वादी का चला आ रहा है। उक्त जैरवाद रकबा में कभी भी नहर नही रही है, सदा से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी की खातेदारी तथा कब्जा काश्त में है। वादी उक्त जैरवाद रकबा में हर फसल काश्त करता है जिसकी गिरदावरी भी पटवारी हल्का द्वारा की जाती रही है। जैरवाद रकबा वादी को अपने पिता से

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:23:06 IST
Reason: SelfAttested

विरासतन प्राप्त हुआ है। वादी द्वारा उक्त रकबा को कड़ी मेहनत करके व भारी खर्चा लगाकर सुधार कर काबिल काश्त किया है। जैरवाद रकबा ही वादी के परिवार के भरण पोषण का सहारा है। प्रतिवादी न. 1 गैरकानूनी रूप से अपना हक जता रहा है तथा वादी को अपने ही खातेदारी रकबा से बेदखल करने पर उतारू है। धारा 188 का मुख्य अनुतोष राज्य सरकार से चाहा गया है इसलिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस राज्य सरकार को श्रीमान जिला कलक्टर को राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते दिया गया है व नहरी विभाग के अधिशाषी अभियन्ता (इ.गा.न.प मुख्य नहर)छतरगढ़ व भूमि धारक तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ को भी नोटिस की प्रति दी गई व वाद पत्र में पक्षकार बनाये गये है। दिनांक 10.10.2014 को जब वादी अपने खेत में काम कर रहा था तब प्रतिवादी संख्या 1 का कर्मचारी वादी के पास आया तथा कहने लगा कि यह भूमि नहर के नाम से है इसलिए इसको खाली कर दो। इस पर वादी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर अपने नाम की जमाबन्दी चक 1 ए.पी. की नकल लेकर उसको दिखाई तब उसने कहा कि हमारे नहरी विभाग के रिकार्ड मे यह रकबा नहर का है इसलिए यह रकबा हम जबरदस्ती खाली करवायेगें। प्रतिवादी की यह धमकी ही वाद पत्र प्रस्तुत करने का मुख्य कारण है। अतः वाद वादी की तरफ से प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि वाद पत्र को अनुतोष क ता ग अनुसार डिक्री किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादी न. 1 को रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। बावजूद तामील हाजिर नहीं आने पर उसके विरूद्ध दिनांक 23.04.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी न. 2 ने अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि स्टेट के हितो को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निर्णय किया जावे।

वाद पत्र में दिनांक 29.11.2017 को निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया वादी जैरवाद रकबा वाके चक 1 A.P. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 134/7 मु.न. 38 के किला नम्बर 13, 14, 16 ता 19, 22 ता 24, 25/0.127= 2.404 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार हैं? .... वादी

(2) आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने का हकदार हैं कि प्रतिवादी न. 1 वादी के जैरवाद खातेदारी रकबा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य से करावे? .... वादी

(3) अनुतोष

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया [illegible] पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया [illegible] में कायम की गई

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:23:06 IST
Reason: SelfAttested

तनकीयात अनुसार वाद पत्र का निस्तारण तनकीवार निम्न प्रकार से किया जाता है :–

तनकी न. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी चक 1 ए.पी. खाता संख्या 2 जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2067 ता 2070 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की। इसके अलावा अपने पिता भागीरथ पुत्र छोगाराम के नाम की चक 1 ए.पी. की जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 व इस रकबा की खातेदारी सनद् दिनांक 01.04.2000 की छायाप्रति भी प्रस्तुत की हैं तथा गैरमुमकिन नहर की चक 1 ए.पी. की जमाबन्दी सम्वत 2047 ता 2050 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें वादी का रकबा नहीं हैं। इनके अलावा बतौर साक्ष्य खसरा गिरदावरीयों की नकल भी प्रस्तुत की। कब्जा काश्त के सम्बन्ध में अपना व खेत पड़ौसियों काशीराम पुत्र रामरतन तथा रामकुमार पुत्र सीताराम के बयान जरिये शपथ पत्र दर्ज करवाये। वादी द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर यह तनकी बहक वादी तय की जाती हैं।

तनकी न. 2 को साबित करने का भार भी वादी पर था। चूंकि तनकी न. 1 वादी के पक्ष में तय की जा चुकी हैं। वादी जैरवाद भूमि का खातेदार काबिज कृषक हैं इसलिए यह तनकी भी बहक वादी तय की जाती हैं।

इस प्रकार तनकी न. 1 व तनकी न. 2 वादी के पक्ष में तय हो जाने पर यह वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 A.P. की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 02 / 5 के पत्थर नम्बर 134/7 मु.न. 38 के किला नम्बर 13–14, 16 ता 19, 22 ता 24, 25/0.1270 = 2.4040 हैक्टेयर कमाण्ड में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:23:06 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: परचा डिक्री ::–

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–: अनवान :–

ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति बिश्नोई निवासी सरदारपुरा लाडाना तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

....वादी

बनाम

1. अधिशांषी अभियन्ता(इन्दिरा गांधी परियोजना, मुख्य नहर) छतरगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान।
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़।

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 207 209 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा न. 207 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व राज पैरोकार के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध चिरस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जाती हैं कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 1 A.P. की जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता संख्या 02 / 5 के पत्थर नम्बर 134/7 मु.न. 38 के किला नम्बर 13–14, 16 ता 19, 22 ता 24, 25/0.1270 = 2.4040 हैक्टेयर कमाण्ड में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करावे ।

नोज..... × ..... मुबलिग.....× ..... बाबत.....×..... ....खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... × ..... फस्दो की पालना ..... ×..... ... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 04.09.2020 .को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:23:06 IST
Reason: SelfAttested